



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 अग्रहायण 1943 (श10)

(सं० पटना 977) पटना, बुधवार, 1 दिसम्बर 2021

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

16 नवम्बर 2021

सं० 15/खा०-48-02/2021/1581(15)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल स्वास्थ्य विभाग के अधीन खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। — (1) यह नियमावली “बिहार खाद्य संरक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021” कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नियम 6 में संशोधन। —

(1) उक्त नियमावली, 2014 के नियम 6 में भर्ती की प्रक्रिया में खाद्य संरक्षा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता से संबंधित परिशिष्ट-1 के खंड- I के स्तम्भ 5 की कंडिका- (ii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा एवं कंडिका — (iv) जोड़ा जायेगा —

कंडिका (ii) “ फुड अथोरिटी द्वारा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ अनुमोदित, किसी संस्था या संस्थान में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो। अभ्यर्थी के चयन के समय प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं होगा, परंतु खाद्य संरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पूर्व प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। चयनित उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी ”

कंडिका (iv) “ परंतु इन नियमों के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति को खाद्य संरक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका खाद्य की किसी वस्तु के विनिर्माण, आयात या बिक्री में कोई वित्तीय हित हो। इस आशय का शपथ-पत्र आवेदक द्वारा समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा”

3. बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली, 2014 के नियम 13 के परन्तुक का प्रतिस्थापन। — उक्त नियमावली, 2014 के नियम 13 के परन्तुक को निम्नलिखित परन्तुक द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“ परन्तु यह कि खाद्य संरक्षा संवर्ग/खाद्य विश्लेषक संवर्ग के अधिकतम ग्रेड-पे/पे-लेवल के पदों पर प्रोन्नति/रूपांतरित वित्तीय उन्नयन हेतु विचारार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति/स्क्रिनिंग समिति की बैठक की अध्यक्षता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर अद्यतन निर्गत परिपत्र के अनुसार की जायेगी। ”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

कौशल किशोर,

सरकार के अपर सचिव।

परिशिष्ट-1

(देखें नियम 2 (ix), 4, 5, 12, 15, 16)

बिहार खाद्य संरक्षा सेवा के पद-सोपान, शैक्षणिक अर्हताएँ, आदि

क्रमांक	कोटि	पदनाम	सीधी भर्ती या प्रोन्नति	अर्हता
1	2	3	4	5
I. खाद्य संरक्षा संवर्ग –				
1.	मूल कोटि	खाद्य संरक्षा अधिकारी	सीधी भर्ती द्वारा	i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फूड टेक्नोलोजी या डेयरी टेक्नोलोजी या बायो-टेक्नोलोजी या ऑयल टेक्नोलोजी या एग्रिकल्चर साइन्स या वेटेरीनरी साइन्स या बायो-केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलोजी में डिग्री ; अथवा केमिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री ; अथवा मेडिसिन में डिग्री ; अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष/मान्यता प्राप्त अर्हता ; ii) फुड अथॉरिटी द्वारा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ अनुमोदित, किसी संस्था या संस्थान में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो। अभ्यर्थी के चयन के समय प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं होगा, परन्तु खाद्य संरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पूर्व प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। चयनित उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी ; iii) सरकारी संस्था में समकक्ष का कार्य अनुभव प्राप्त हो ; एवं iv) परन्तु इन नियमों के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति को खाद्य संरक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका खाद्य की किसी वस्तु के विनिर्माण, आयात या बिक्री में कोई वित्तीय हित हो। इस आशय का शपथ-पत्र आवेदक द्वारा समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा ;
2.	प्रथम सोपान	सहायक अभिहित अधिकारी	प्रोन्नति द्वारा	
3.	द्वितीय सोपान	अभिहित अधिकारी	प्रोन्नति द्वारा	
4.	तृतीय सोपान	उप खाद्य संरक्षा आयुक्त	प्रोन्नति द्वारा	

II. खाद्य विश्लेषक संवर्ग -				
1.	मूल कोटि	खाद्य विश्लेषक	सीधी भर्ती द्वारा	i) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलोजी या डेयरी केमिस्ट्री या फूड टेक्नोलोजी, फूड ऐंड न्यूट्रीशन में मास्टर्स डिग्री ; अथवा डेयरी/ऑयल में बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी ; अथवा वेटेरीनरी साइन्स में डिग्री ; अथवा इन्स्टीच्यूशन ऑफ केमिस्ट्स (इन्डिया) द्वारा फुड एनेलिस्ट खंड में संचालित परीक्षा में उत्तीर्णता द्वारा इन्स्टीच्यूशन ऑफ केमिस्ट्स (इन्डिया) का कोई एसोशियेट हो ; अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित ऐसे प्रयोजनार्थ कोई अन्य समकक्ष अर्हता ; ii) खाद्य विश्लेषण का तीन वर्षों से अन्यून अनुभव ; एवं iii) भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आयोजित खाद्य विश्लेषक के परीक्षा में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
2.	प्रथम सोपान	वरीय खाद्य विश्लेषक	प्रोन्नति द्वारा	
3.	द्वितीय सोपान	उप निदेशक (प्रयोगशाला)	प्रोन्नति द्वारा	

सं० 15/खा०-48-02/2021/1581(15)-का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अंतर्गत अँग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कौशल किशोर,
सरकार के अपर सचिव।

The 16th November 2021

No.- 15/Kha-48-02/2021/1581(15) In exercise of Powers conferred by Proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, is hereby pleased to make the following rules to amend **“Bihar Food Safety Service Rules, 2014 :-**

1. Short title, extent and commencement :— (i) These Rules may be called as the **“Bihar Food Safety Service (Amendment) Rules, 2021”.**

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of the publication in the official gazette.

2. Amendment in Rule-6 of Food Safety Service Rules, 2014,:

(1) In the process of recruitment Rule 6 of the said Rules, 2014, Clause-II of Column-5 of Section-I of Appendix-1 relating to the qualification for direct recruitment to the post of Food Safety Officer, shall be substituted by the following and Clause- iv shall be added.

Clause-II- “ Successfully completed training from any institute/ institution duly approved by the Food Authority for the purpose of training. Training will not be mandatory at the time of selection of the candidate, but training will be mandatory before making appointment to the post of Food Safety Officer. During probation period, the arrangements will be made by the State Government for providing training to the selected candidates.”

Clause-IV-Provided that no person shall be appointed to the post of Food Safety Officer under these rules who have any financial interest in manufacture, import and sale of any article of food. It will be mandatory to submit an affidavit to this effect by the applicant.

3. Substitution of proviso to Rule 13 of Bihar Food Safety Service Rules, 2014 proviso to Rule 13 of the said Rules, 2014 and shall be substituted by the following:-

“ Provided that the meeting of the Departmental Promotion Committee/Screening Committee for granting promotion / assured financial up-gradation on the posts of maximum grade pay of Food Safety Cadre /Food Analyst Cadre, will be presided as per updated circular issued from time to time by the General Administration Department.”

By the order of the Governor of Bihar,

Kaushal Kishore,

Additional Secretary to the Government.

APPENDIX - 1

[See Rule 2 (ix) , 4, 5,12,15,16]

Hierarchy, educational qualification etc. of Bihar Food Safety Service

Sl.No	Category	Name of Post	Direct recruitment or Promotion	Qualification
1	2	3	4	5
I. Food Safety Cadre -				
1	Basic Category	Food Safety Officer	By Direct Recruitment	i) A Degree in Food Technology or Dairy Technology or Bio-technology or Oil Technology or Agriculture Science or Veterinary Sciences, or Biochemistry or Microbiology; or Master's /Degree in Chemistry ; or Degree in Medicine from a recognized University ; or any other equivalent / recognized qualification notified by the Central Government ; ii) has Successfully completed training from any institute/ institution duly approved by the Food Authority for the purpose of training. Training will not be mandatory at the time of selection of the candidate, but training will be mandatory before making appointment to the post of Food Safety Officer. During probation period, the arrangements will be made by the State Government for providing training to the selected candidates ; and iii) Work experience from Government Institute or equivalent. iv) provided that no person shall be appointed to the post of Food Safety Officer under these rules who have any financial interest in manufacture, import and sale of any article of

				food. It will be mandatory to submit an affidavit to this effect by the applicant.
2	First Ladder	Assistant Designated Officer	By Promotion	
3	Second Ladder	Designated Officer	By Promotion	
4	Third Ladder	Deputy Food Safety Commissioner	By Promotion	
II. Food Analyst Cadre -				
1	Basic Category	Food Analyst	By Direct Recruitment	i) Master's Degree in Chemistry or Bio-Chemistry or Micro-biology or Dairy Chemistry or Food Technology, Food and Nutrition; or holds Bachelor of Technology in Dairy /Oil; or holds degree in Veterinary Sciences from a University established in India by law ; or is an Associate of the Institution of Chemists (India) by examination in the section of Food Analysts conducted by the Institution of Chemists (India); or any other equivalent qualification recognized and notified by the Central Government for such purposes ; ii) has not less than three years experience in the analysis of food ; and iii) Candidate must have to pass the examination of Food Analyst held by FSSAI, New Delhi.
2	First Ladder	Senior Food Analyst	By Promotion	
3	Second Ladder	Deputy Director (Laboratory)	By Promotion	

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 977-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>